

FORM-I
(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Uttarkashi.

No---

Dated--**27/07/2018**

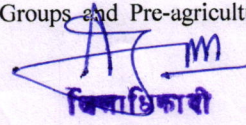
TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98- FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.8175** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Purola (Uttarkashi)** (name of user agency) for **Construction of Miyagad Kunara Motor Road** (purpose for diversion of forest land) in Uttarkashi district falls within jurisdiction of **Kunara** village(s) in **Mori** tehsil(s).

It is further certified that:

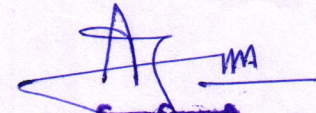
- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the **2.8175** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **23 to 23.2** annexure
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

ucl: As above.


(Dr. Ashish Chauhan)
District Magistrate Uttarkashi

**It is certifie that-Minute of meetinnng of Construction of Road the state Of Uttarakhand regarding
FRA is as Following**

S..No		Remarks
(a)	The complete process for indentificatin and selttlement ofv rights under the FRA has been carried of the entire 2.8175 Hect .of reseve forest area proposed for diversion.A copy of record of all consultaions and meeting of the Forest right Committee(s) Sub Division level committee are enclosed as annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to schedulde tribes aqnd other taditional forest dwellers.
(b)	The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as reqride undre Section 3(20 of the F.R.A. has been Completed and the villages has given consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to schedulde tribes aqnd other taditional forest dwellers.No objection Certificate concerned Village regarding construction of aforesaid is Miyagad Kunara Motor Road in the state of Uttarakhand scheme attached.
(b)	The proposal dose not innvolve recogninied rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to schedulde tribes aqnd other taditional forest dwellers.


डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट
उत्तरकाशी
 (Dr. Ashish.chauhan)
 District Magistrater Uttarkashi

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT : UTTARKASHI (U.K.)**

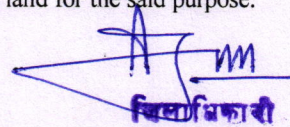
Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA. 2006 was held under the Chairmanship of **Dr. Ashish Chauhan District Magistrate Uttarkashi** on dated 27/07/018 at Time 2.00 p.m. at Uttarkashi, in which application claiming rights in R.F. area measuring 2.8715 hect. for the **Construction of Miyagad Kunara motor Road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Purola sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Uttarkashi.

Dated:.....


बिना विफारी

(Dr. Ashish Chauhan)
District Magistrate -cum Chairman
District Level Committee Uttarkashi

प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम :-

जनपद उत्तरकाशी, विकास खण्ड मोरी में मिनागाड - कुनारा मोर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पुरोलाअनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, _____उपखण्ड मोरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में मिनागाड - कुनारा मोर मार्ग का निर्माण (1.48.50) हे० आरक्षित वन भूमि, — हे०सिविल एवं सोयम वन भूमि हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 28115 हे० वन भूमि) का लो० सि० वि० पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील मोरी) की दिनांक 21/01/2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री आर० के पाण्डेय, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री आर० के पाण्डेय उपजिलाधिकारी पुरोला अध्यक्ष
- 2- श्री के० पी० वर्मा उप प्रभागीय वनाधिकारी सिगावा उप जिलाधिकारी
- 3- श्री डी० डी० नैचिवाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी मोरी सदस्य / सचिव पुरोला जालकुमारी
- 4- श्री मोरी जालकुमारी देवी बी०डी०सी० क्षेत्र मोरी सदस्य उत्तरकाशी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

मिनागाड से कुनारा मोर मार्ग परियोजना हेतु 2.497 हे० वन भूमि लो० सि० वि० पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुंसा की गई है।संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, के० पी० वर्मा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड मोरी परिक्षेत्र के अन्तर्गतमिनागाड से कुनारा मोर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.497 हे० वन भूमि लो० सि० वि० पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील मोरी
जनपद उत्तरकाशीप्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
तहसील मोरी
जनपद उत्तरकाशी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

परियोजना का नाम :- जन्मद उत्तरकाशी, विकासखण्ड मोरी में मिमांगड़ - कुनारा
मोटर मार्ग का निर्माण,

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कुनारा
तहसील मोरी, जिला उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला उत्तरकाशी उत्तराखण्ड में जन्मद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी में मिमांगड़
कुनारा मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (—

हे० आरक्षित वन भूमि, 1.4850 हे० सिविल सोयम भूमि 1.485 हे०, वन पंचायत भूमि मन्द डिपोजिट
हे० 30 हे०) अर्थात् कुल 2.811 हे० वन भूमि को 1.011 हे० विभाग/संस्था के
पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत
किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुनारा द्वारा दिनांक 19/11/14 को
सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के
संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर
आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट
किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का
कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु
आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित
किया गया कि ग्राम कुनारा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि
लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर
कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/
ग्राम सचिव 11/11/2015
ग्राम पंचायत कुनारा
वि० ख० मोरी

ह०/
ग्राम प्रधान लायवरी
श्रीमती लायवरी देवी
ग्राम पंचायत-कुनारा
विकासखण्ड-मोरी (उ०का०)

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो
तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

दिनांक 19.08.2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कुनारा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित नरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	अपवोर सिंह	
②	मोहन सिंह	
③		
अपवोर		
④	अपवोर सिंह	
⑤	कान सिंह	
⑥	अन सिंह	

प्रमाण पर

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कुनारा के अन्तर्गत ग्राम कुनारा एवं ग्राम पास दो ग्राम होते हैं। इन दोनों ग्रामों की ग्राम प्रधान श्रीमती लायवरी देवी है।

अतः प्रमाण पर आवश्यक व्यववाही हेतु निर्गत किया जाता है।

लायवरी
श्रीमती लायवरी देवी
ग्राम पंचायत कुनारा
विकास खण्ड मोरी उत्तरांचल प्रदेश

प्रारूप-30.4

दिनांक 19/08/014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत पासा

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में मियागाड से कुनारा तक मोटर मार्ग का निर्माण।

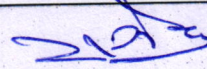
क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	आज दिनांक 19/08/014 को ग्राम पंचायत पासा की बैठक प्रधान श्रीमती लायबरी देवी की अध्यक्षता में ग्राम पासा में आहुत की गई जिसमें जिसमें विभिन्न विचार विमर्श के साथ-साथ मियागाड से कुनारा मोटर मार्ग के विषय में विशेष चर्चा हुई यह मोटर मार्ग बनना जनहित में नितांत आवश्यक है। वाहतूक के नगदी पतल खचकर कुनारा से मोटर मार्ग तक पहुँचानी पड़ती है आवागमन एवं स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति में बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। कई लोगों की पैदल रास्त में ही मृत्यु हो जाती है। अतः ग्रामीणों की कठिनाईयों को देखते हुए सर्व सहमति से पुस्ताव पारित कर अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेरित किया जाता है।	
	प्रमाणित ग्राम पंचायत मोरी (उत्तरकाशी)	लायबरी देवी श्रीमती लायबरी देवी ग्राम पंचायत कुनारा विकास खण्ड मोरी उत्तर

प्रारूप-30.4

दिनांक 11/08/04 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत पासरा

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में मियागाड से कुनारा तक मोटर मार्ग का निर्माण।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	राजेन्द्र सिंह शर्मा	
2	शिशुपाल सिंह शर्मा	शिशुपाल सिंह
3 -	चम सिंह	चम सिंह
4 -	मेरवा सिंह	मेरवा सिंह
5 -	चंदन सिंह	चंदन
6 -	जगमोहन सिंह	जगमोहन
7 -	आपगीर सिंह	आपगीर
8 -	सरोज सिंह	सरोज सिंह
9 -	विश्वनाथ सिंह	विश्वनाथ
10 -	राम लाल	राम लाल
11 -	सोहन सिंह	सोहन
13 -	जगत सिंह	जगत
14 -	मोहन सिंह	मोहन सिंह

प्रारूप-30.4

दिनांक 11/08/24 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थितिग्राम पंचायत पासा

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में मियागाड से कुनारा तक मोटर मार्ग का निर्माण।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
15-	विश्व लाल	<u>विश्व</u>
16 -	खिली लाल	<u>खिली</u>
17 -	कालीया लाल	<u>कालीया</u>
17 -	प्रेम लाल	<u>प्रेम लाल</u>
18 -	लक्ष्मी	<u>लक्ष्मी</u>
19 -	सन्तु लाल	<u>संतु</u>
20 -	रमेश लाल	<u>रमेश</u>
21 -	कालीया	<u>कालीया</u>
22 -	मूनकु लाल	<u>मूनकु</u>
23 -		

प्रारूप-30.4

दिनांक 19/08/14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कुनारा

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में मियागाड से कुनारा तक मोटर मार्ग का निर्माण।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	आज दि. 19/08/14 को ग्राम पंचायत कुनारा की बैठक प्रधान श्रीमती लायवरी देवी की अध्यक्षता में ग्राम कुनारा में आहुत की गई जिस में विभिन्न विचार/विमर्श के साथ-साथ मियागाड से कुनारा मोटर मार्ग के विषय में विभिन्न-वर्गी इंस. यह मोटर मार्ग बनना अनहित में मिलान्त आवश्यक है, कास्तकारी की नकदी फसल अच्छा फूलान से मोटर मार्ग तक पहुँचानी पड़ी है, और आवागमन एवं व्यक्ति विचार हमें की स्थिति में कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है, कई लोगों की शूलुके जाती है अतः सर्व सहजारी से पारित कर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाना है) लायवरी प्रधान श्रीमती लायवरी देवी ग्राम पंचायत कुनारा विकास खण्ड मोरी उत्तरकाशी	महेश्वर म/र क्षेत्र पंचायत पोखरी दि. 20.8.14 मोरी (उत्तरकाशी)
(1)		
(2)	श्रीशपाज सिंह शिवर पूर्व ज्येष्ठ सदस्य	श्रीशपाज सिंह
(3)	अनक सिंह शिवर	अनक सिंह
(4)	उमलासिंह शिवर	उमलासिंह

प्रारूप-30.4

दिनांक 19/08/14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कुनारा

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में मियागाड से कुनारा तक मोटर मार्ग का निर्माण।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	रविवर सिंह पूर्व प्रधान	रविवर सिंह
2	सुरवीर सिंह रावल	सुरवीर सिंह
3	शिवत सिंह रावल	शिवत सिंह
4	सरदार सिंह रावल	सरदार सिंह
5	आशु चंद सिंह रावल	आशु चंद सिंह
6	आनंद सिंह रावल	आनंद सिंह
7	सुधाकर सिंह चौहान	सुधाकर सिंह
8	गुनन सिंह रावल	गुनन सिंह
9	भारत सिंह रावल	भारत सिंह
10	जलवीर सिंह चौहान	जलवीर सिंह
11	अमर सिंह चौहान	अमर सिंह
12	गुनन सिंह	गुनन सिंह
13	विमला देवी	विमला देवी
14	शिववीर सिंह रावल	शिववीर सिंह
15	चंद सिंह रावल	चंद सिंह
16	मोहन सिंह रावल	मोहन सिंह

प्रारूप-30.4

दिनांक 19/08/14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कुनारा

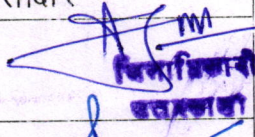
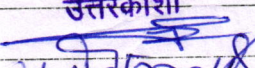
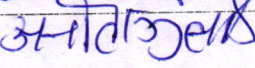
परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में मियागाड से कुनारा तक मोटर मार्ग का निर्माण।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
01	अधर सिंह	01/21-11/14
02	विनोद सिंह	
03	जवरा सिंह शर्मा	जवरा सिंह
04	अधर सिंह	अधर सिंह
05	मनोज सिंह	मनोज
06	विरवल सिंह शर्मा	बीरवल
07	बृहस्पति सिंह	बृहस्पति
08	विरेंद्र सिंह	विरेंद्र
09	जोतिदा सिंह	जोतिदा
10	जगमोहन सिंह	Chaudhary
11	जैमोहन	जैमोहन
12	मुला देवी	मुला देवी
13	प्रभु राय	प्रभु राय
14	पदमाद सिंह	पदमाद सिंह
15	रमेश सिंह	रमेश सिंह
16	बालवीर सिंह	बालवीर सिंह
17	दिपक सिंह	दिपक सिंह
18	जगमोहन सिंह	जगमोहन सिंह
19	कैलाश सिंह	कैलाश सिंह
20	निरज सिंह	निरज सिंह

कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशी।

जिलास्तरीय समिति उत्तरकाशी।

आज दिनांक 27/07/2018 को जनपद उत्तरकाशी में विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत मोरी में मियागाड़ से कुनारा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 2.8175 है० है। इस सम्बन्ध में वनाधिकारी अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा गठित जिलास्तरीय समिति।

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.	डा० आशीष चौहान	जिलाधिकारी उत्तरकाशी	 जिलाधिकारी उत्तरकाशी
2.	श्री आर०पी०मिश्रा	उपवनसंरक्षक टैन्स वन प्रभाग पुरोला।	 उप वन संरक्षक टैन्स वन प्रभाग, पुरोला
3.	श्री महिधर सिंह	जिला समाज कल्याण अधिकारी	 जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी
4.	श्री जितेन्द्र राणा	जिला पंचायत सदस्य टकनौर	
5.	श्रीमती अनिता गुसाईं	जिला पंचायत सदस्य कन्सेण	
6.	श्री अनिल कुमार	जिला पंचायत सदस्य डख्याटगांव	